



2026:AHC: 11566-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 746/2025

शब्बीर

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: ज्ञानेश कुमार मिश्रा, रोहित कुमार मिश्रा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अखिलेश कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

अपीलार्थी के अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 413 के अंतर्गत वर्तमान अपील प्रथम सूचनादाता द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश / एफ.टी.सी., न्यायालय संख्या-01, जनपद हाथरस द्वारा सत्र विचारण संख्या - 238 वर्ष 2007, जो धारा 452, 436, 504, 506 और 308 भा.द.सं. के तहत पंजीकृत है, में पारित दोषमुक्ति के निर्णय एवं आदेश दिनांक 23.9.2025 के विरुद्ध दायर किया गया है, जो थाना सिकंदराराऊ, जनपद हाथरस में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या - 418 वर्ष 2003 से उत्पन्न हुआ है।

अभियोजन का वाद यह है कि दिनांक 5.10.2003 को अपराहन 04:00 बजे, अभियुक्तों, अर्थात् विपक्षी संख्या 2 से 4 ने एक शमशाद के साथ मिलकर प्रथम सूचनादाता को जान से मारने की नीयत से प्रथम सूचनादाता शब्बीर, उसकी पत्नी और पुत्री पर चाकू, पिस्टल, लाठी और लोहे के सरियों से हमला किया। अभियोजन का वाद है कि अमरुद के बाग से संबंधित वित्तीय लेनदेन को लेकर पक्षों के बीच कुछ विवाद था। अभिकथन है कि शमशाद ने प्रथम सूचनादाता की पत्नी शमीम बेगम पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और उनकी पुत्री अफसाना पर भी हमला किया। अभियुक्तों ने प्रथम सूचनादाता के घर में आग भी लगा दिया और प्रथम सूचनादाता तथा उसके परिवार के सदस्यों को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी देते हुए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चले गए। दिनांक 5.10.2003 को ही विपक्षीगण और शमशाद के विरुद्ध धारा 452, 436, 504, 506 और 308 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शमशाद और विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध धारा 452, 504, 506, 324 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। हालांकि, संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा बाद में धारा 436 और 308 भा.द.सं. जोड़ा गया। वाद विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया और विपक्षीगण तथा शमशाद के विरुद्ध धारा 452, 436, 504, 506 और 308 भा.द.सं. के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या - 238 वर्ष 2007 पंजीकृत किया। विपक्षी संख्या 3 और 4 को बाद में विचारण न्यायालय द्वारा द.प्र.सं. की धारा 319 के अंतर्गत तलब किया गया था।

अभियोजन ने आठ साक्षीगण को परीक्षित किया। प्रथम सूचनादाता शब्बीर को पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में, प्रथम सूचनादाता की पत्नी शमीम बेगम उर्फ नथिया को पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में, एक शमशाद को पी.डब्ल्यू.-3 के रूप में और प्रथम सूचनादाता की पुत्री अफसाना को पी.डब्ल्यू.-4 के रूप में परीक्षित किया गया। पी.डब्ल्यू.-5, पी.डब्ल्यू.-7 और पी.डब्ल्यू.-8 पुलिस कर्मी और विवेचना अधिकारी हैं, जिनका परीक्षण आरोप-पत्र के साथ विवेचना अधिकारियों द्वारा दाखिल विभिन्न दस्तावेजों को सिद्ध करने के लिए किया गया था और जिस डॉक्टर ने पी.डब्ल्यू.-2 का परीक्षण किया था तथा पूरक चोट रिपोर्ट तैयार किया था, उसे पी.डब्ल्यू.-6 के रूप में परीक्षित किया गया।

अपने साक्ष्य में, पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-4 ने एफ.आई.आर. के संस्करण को दोहराया है। यह उल्लेखनीय है कि अपनी प्रति-परीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-4 ने कहा कि कथित हमले के बाद पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-4 के कपड़े खून से सन गए थे और उनके घर की जमीन पर भी खून पड़ा था। कपड़े विवेचना अधिकारी को दिखाए गए थे, लेकिन विवेचना अधिकारी को दिए नहीं गए थे। अपनी प्रति-परीक्षा में, विवेचना अधिकारी ने पी.डब्ल्यू.-7 के रूप में इस बात से इनकार किया कि उन्हें कोई खून से सने कपड़े दिए गए थे और कहा कि उन्होंने घायल साक्ष्यों के खून से सने किसी भी कपड़े को कब्जे में नहीं लिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा किए गए दावे के अनुसार पी.डब्ल्यू.-2 को आई चोटों को सिद्ध करने वाली कोई चोट रिपोर्ट अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया था और जिस डॉक्टर ने कथित तौर पर घायल साक्षी का परीक्षण किया था, उसे साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं किया गया। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि पी.डब्ल्यू.-6, जो चिकित्सीय साक्षी हैं, ने केवल पी.डब्ल्यू.-2 के सिर के एक्स-रे के संबंध में एक पूरक चोट रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें रिपोर्ट थी कि चोट साधारण प्रकृति की थी और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक्स-रे में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए दावे के अनुसार पी.डब्ल्यू.-4 को आई चोट के संबंध में कोई रिपोर्ट अभियोजन द्वारा विचारण न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया था। स्पष्ट रूप से, प्रथम सूचनादाता या पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-4 को कारित किए जाने का अभियोजन द्वारा दावा की गई चोटें सिद्ध नहीं हुईं। इन्हीं परिस्थितियों के कारण विवेचना एजेंसी ने अपने द्वारा दाखिल आरोप-पत्र से धारा 308 भा.द.सं. को हटा दिया था।

जहाँ तक अभियोजन के इस दावे का संबंध है कि अभियुक्तों ने प्रथम सूचनादाता के घर में आग लगा दी थी, वह भी अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से सिद्ध नहीं हुआ। अभियोजन द्वारा धारा 436 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए परीक्षित पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-4 आग के कारण परिवार को हुए नुकसान का वर्णन करने में सक्षम नहीं थे। मौके से कथित रूप से बरामद राख और आधे जले हुए कपड़ों के संबंध में विवेचना एजेंसी द्वारा कोई फर्द बरामदगी तैयार नहीं की गई थी। अभियोजन का यह दावा कि कांसे, तांबे और पीतल के बर्तन आग में पिघल गए और नष्ट हो गए, विचारण न्यायालय द्वारा अविश्वसनीय पाया गया। प्रथम सूचनादाता के घर की छप्पर वाली छत को अभियुक्तों द्वारा जला दिए जाने के अभियोजन के दावे पर भी इस आधार पर अविश्वास किया गया है कि प्रस्तुत विभिन्न साक्ष्यों ने इंगित किया कि प्रथम सूचनादाता के घर में कोई छप्पर वाली छत नहीं थी। यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचना अधिकारी द्वारा कोई खून से सनी मिट्टी एकत्र नहीं किया गया था और कपड़ों को विधि विज्ञान परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था। अभियुक्तों से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। पी.डब्ल्यू.-3, जो प्रत्यक्ष रूप से एफ.आई.आर. संस्करण की पुष्टि करता है, वह संयोगवश साक्षी था।

अभियोजन के दावे का खंडन बचाव पक्ष के साक्ष्यों द्वारा भी किया गया है, जिनमें से एक प्रथम सूचनादाता की भतीजी है और दूसरे को आरोप-पत्र में अभियोजन साक्षी के रूप में दिखाया गया था लेकिन अभियोजन द्वारा उसका परीक्षण नहीं किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन संदेह से परे अपना वाद सिद्ध करने में विफल रहा है और यह कि अभियुक्त-विपक्षीगण ने प्रथम सूचनादाता और उसके परिवार के सदस्यों पर उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला किया था या प्रथम सूचनादाता के घर को जलाया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपील के साथ संलग्न अभिलेख के परिशीलन और अपील में उठाए गए, आधार हमें विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित करने के लिए वाद का आगे परीक्षण करने का पर्याप्त कारण नहीं देते हैं। विचारण न्यायालय का निर्णय अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

अपील में गुण-दोष का अभाव है और इसे **खारिज** किया जाता है।

अपील को नियमित संख्या आवंटित करने के बाद और वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित किया जाए।

16 जनवरी, 2026

सत्यम

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)